संख्या- 3/2022/40-1002(099)/139/2019-1-I/155788/2022

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2022

विषय:- बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2022 को मनाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022 -23 के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने संबन्धी वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च , 2022 में निहित शर्तों के अधीन बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल, 2022 पर विभिन्न कार्यक्रमों/समारोह के आयोजन पर व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए रू0 26,25,000/-(रू0 छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जनपद को रू0 35,000/-(रू0 पैंतीस हजार मात्र) की दर से प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने /व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि को प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार शत-प्रतिशत व्यय किया जाएगा तथा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित किये जाने के उपरान्त प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, पूर्ण व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2022 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-12-2022 तक उपलब्ध् कराना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,25,000 (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 053 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2070008001200 डा. भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
श्याम मोहन तिवारी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-3/2022/40-1002(099)/139/2019-1-1/155788/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति भेजते हुए समयान्तर्गत शत-प्रतिशत धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , प्रयागराज ।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज ।
(6) समस्त वरिष्ठ, कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10)गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,
श्याम मोहन तिवारी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।